



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236545
CG-DL-E-14062022-236545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]
No. 151]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2022/ज्येष्ठ 23, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2022/JYAISHTHA 23, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 13 जून, 2022
सं. 14 / 2015–2020

विषय: स्कोमेट मर्दों/साफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के अंतः कम्पनी अंतरण हेतु वैश्विक प्राधिकार पत्र (जीएआईसीटी) के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक में पैरा 2.79च में संशोधन।

फा. सं. 01/91/180/18/एम17/ईसी(स्को.)/कम्प्यूटर सं. 2862.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैरा 2.79च में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं।

2. विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के उप-पैरा 2.79 च पर मौजूदा प्रविष्टि को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“पैरा 2.79च – स्कोमेट मर्दों/साफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के अंतः कम्पनी अंतरण हेतु वैश्विक प्राधिकार पत्र (जीएआईसीटी)

क. क्षेत्र और पात्रता: निम्नलिखित शर्तों के अधीन, स्कोमेट श्रेणी 8 (अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध मदों को छोड़कर) के तहत साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित स्कोमेट मदों के निर्यात और/या पुनः निर्यात के लिए निर्यात-पूर्व प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी:

- i. जहां निर्यात भारतीय मूल कम्पनी (आवेदक निर्यातक) से इसकी विदेशी सहायक कम्पनी को अथवा विदेशी कम्पनी (आवेदक निर्यातक) की भारतीय सहायक कम्पनी से इसकी विदेशी मूल कम्पनी/विदेशी मूल कम्पनी की अन्य सहायक कम्पनी को अंतः कम्पनी अंतरण है और;

टिप्पणी: आपूर्ति श्रृंखला में तीसरे पक्ष की भागीदारी के मामले में, अंतिम प्रयोक्ता को विदेशी मूल कम्पनी/विदेशी मूल कम्पनी की अन्य सहायक कंपनी या भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी होना चाहिए।

- ii. जहां अंतरण निम्नलिखित (क) से (च) पर उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है:

क. निर्यात की जाने वाली/पुनः निर्यात की जाने वाली मद/साफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी कतिपय सेवाएं निष्पादित करने के लिए भारतीय मूल कम्पनी/विदेशी कम्पनी की भारतीय सहायक कम्पनी और भारतीय कम्पनी की विदेशी सहायक कम्पनी/भारतीय सहायक कम्पनी की विदेशी मूल कम्पनी के बीच मास्टर सेवा समझौता/संविदा पर आधारित हो लेकिन डिजाइन, एनक्रिप्शन, अनुसंधान, विकास, डिलीवरी, वैधीकरण, अंशाकन, जांच संबंधित सेवाओं आदि तक सीमित नहीं हो;

टिप्पणी 1: पुनः निर्यात के मामले में भारतीय निर्यातक द्वारा दी गई सेवा के परिणामस्वरूप मदों/साफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के वर्गीकरण में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2: ऊपर उल्लिखित सेवाओं की सूची उदाहरणदर्शी है, संपूर्ण नहीं है। तथापि, जीएआईसीटी प्राधिकार पत्र को अनुमोदित करने का अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकारी के पास है।

ख. साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित इन मदों को नीचे तालिका 1 में सूचीबद्ध देशों को निर्यात/पुनः निर्यात किया जाना है (किसी भी तीसरे पक्ष सहित संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला इस सार्वजनिक सूचना की तालिका 1 में सूचीबद्ध देशों में होनी चाहिए);

तालिका 1

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रूसी संघ, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका।

टिप्पणी: तथापि, आईएमडब्ल्यूजी मामला-दर-मामला आधार पर मद के विवरण/अंतिम उपयोग/अंतिम प्रयोक्ता पर विचार करते हुए तालिका 1 में सूचीबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों को अनुमति दे सकता है।

ग. आवेदक निर्यातक यह घोषणा करता है कि निर्यातित मदों का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा जिनके लिए भारतीय कम्पनी की विदेशी सहायक कम्पनी/विदेशी मूल कम्पनी/विदेशी मूल कम्पनी की अन्य सहायक कम्पनी द्वारा उपयोग करना अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो;

घ. आवेदक निर्यातक या तो प्रमाणित/अनुमोदित आन्तरिक अनुपालन कार्यक्रम (आईसीपी) प्रस्तुत करता है या विदेशी मूल कम्पनी के आईसीपी या कम्पनी के अनुपालन प्रबंधक द्वारा प्रमाणित आईपीसी या प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईओ) स्कीम जैसी किसी सरकारी एजेंसी द्वारा प्रमाणित आईसीपी आदि का अनुपालन दर्शाता है;

ड. निर्यातक विदेश व्यापार महानिदेशालय या भारत सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार साइट पर निरीक्षण की अनुमति देता है;

च. यूएनएससी द्वारा प्रतिबंध लगाए गए गंतव्य स्थानों या देशों के लिए कोई भी निर्यात प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा;

छ. उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट किसी निर्यातक को कोई निर्यात प्राधिकार पत्र नहीं दिया जाएगा यदि वे पहले से प्रतिकूल नोटिस में आए हैं;

ज. निम्नलिखित पैरा 2.ख में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्यातक को अंतः कम्पनी अंतरण के लिए वैश्विक प्राधिकार पत्र (जीएआईसीटी) दिया जाता है।

ख. अंतः कम्पनी अंतरण के लिए वैश्विक प्राधिकार पत्र (जीएआईसीटी) प्रदान करने की प्रक्रिया

आवेदन प्रस्तुत करना और उसका मूल्यांकन करना

क. सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित स्कोमेट मदों के निर्यात/पुनः निर्यात के संबंध में आवेदक निर्यातक आनलाइन स्कोमेट पोर्टल के माध्यम से जीएआईसीटी के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा और प्रपत्र-एनएफ 2ण (ख) में सूचना संलग्न करेगा;

ख. निर्धारित प्रपत्र में आवेदक निर्यातक द्वारा आवेदन और अन्य सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आधार पर अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) द्वारा जीएआईसीटी जारी करने के लिए आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा;

- i. भारतीय मूल कंपनी (आवेदक निर्यातक) और इसकी विदेशी सहायक कंपनी के बीच या विदेशी कंपनी (आवेदक निर्यातक) की भारतीय सहायक कंपनी और इसकी विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी के बीच कॉर्पोरेट संबंधों का दस्तावेजी प्रमाण;
- ii. स्कोमेट में सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मद का वर्गीकरण (स्कोमेट श्रेणी और उप-श्रेणी को दर्शाते हुए)
- iii. विदेश स्थित मूल कंपनी के देश से या विदेश स्थित मूल कंपनी की सहायक कंपनियों से लाइसेंस छूट/अस्थायी लाइसेंस का दस्तावेजी प्रमाण, यदि उपलब्ध हो (वैकल्पिक)
- iv. प्रासंगिक तकनीकी विवरणों के साथ निर्यात की जाने वाली मद का विस्तृत विवरण जैसे मॉडल, पार्ट संख्या, आदि और सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के मामले में, प्रासंगिक विवरण जैसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, की-लैथ, एन्क्रिप्शन प्रकार्यात्मकता, क्रिप्टोग्राफी नोट के तहत पात्रता आदि प्रदान की जानी है (यदि लागू हो);
- v. आपूर्ति श्रृंखला में तीसरे पक्ष की भागीदारी के मामले में, एक स्पष्ट अनुबंध/सेवा समझौता/क्रय आदेश प्रस्तुत करना होगा जिसमें स्कोमेट मद विवरण निर्दिष्ट किया गया हो।
- vi. भारतीय मूल कंपनी की प्रमाणित/अनुमोदित आईसीपी या विदेशी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी द्वारा अपनाई जा रही विदेशी मूल कंपनी के आईसीपी की स्व-प्रमाणित प्रति, उनके एक वचनपत्र के साथ;
- vii. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी फर्म के शीर्षपत्र पर वचनपत्र:
 - क. डीजीएफटी या भारत सरकार के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक होने पर ऑन-साइट निरीक्षण की अनुमति देना;
 - ख. आवेदक निर्यातक घोषणा करता है कि निर्यातित मदों का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा जिनके लिए यह भारतीय कंपनी की विदेशी सहायक कंपनी/विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी द्वारा उपयोग करना अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो;
 - ग. आवेदक निर्यातक घोषणा करता है कि निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी करने के बाद, यदि लाइसेंसधारी को डीजीएफटी द्वारा लिखित रूप में संसूचित किया गया है या यदि उन्हें पता है या ऐसा प्रतीत होने के पीछे कोई कारण है कि कोई वस्तु सैन्य उपयोग के लिए अभिप्रेत हो सकती है, तो निर्यातक उस/उन मदों के निर्यात के लिए जीएआईसीटी के लिए पात्र नहीं होगा और नियमित नीति के संदर्भ में एक नए प्राधिकार-पत्र के लिए डीजीएफटी को अलग से

आवेदन करेगा। [कैच-ऑल पॉलिसी के लिए डीजीएफटी के पीएन नंबर 27 दिनांक 21.09.2017 को भी देखा जा सकता है]।

viii. कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- क. वे आवेदन दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर और बाद के निर्यात के मामले में, गंतव्य बिंदु पर डिलीवरी के 30 दिनों के भीतर, निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी करने के बाद, निर्धारित प्रारूप में मूल अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे;
- ख. उनके पास अनुबंध/क्रय आदेश है, उन वस्तुओं को प्राप्त करने वाली इकाई (प्रेषिती) से अनुबंध का अंश है जो बताता है कि निर्यात एक अनुमत उपयोग के लिए है;
- ग. दस्तावेजों में ईयूसी पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का नाम और संपर्क नंबर और ईमेल आईडी शामिल है।

ix. आपूर्ति श्रृंखला में तीसरे पक्ष की भागीदारी के मामले में मद विवरण को दर्शाते हुए एक सटीक और स्पष्ट अनुबंध/सेवा समझौता/क्रय आदेश प्रस्तुत करना होगा (यदि लागू हो)

x. डीजीएफटी द्वारा मांगा गया अतिरिक्त ब्यौरा, यदि कोई हो।

ग. जीएआईसीटी के तहत मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के पुनःनिर्यात हेतु पश्च-रिपोर्टिंग

- क. भारतीय निर्यातक को जीएआईसीटी के तहत स्कोमेट मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के निर्यात के प्रत्येक अंतरण/खेप का विवरण पिछली तिमाही में किए गए निर्यात के संबंध में प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के बाद के महीने के अंत तक त्रैमासिक आधार (मार्च/जून/सितम्बर/दिसम्बर) पर ई-मेल (scomet-dgft-pr@nic.in) अथवा डीजीएफटी द्वारा यथा निर्धारित एक प्रक्रिया द्वारा स्कोमेट प्रभाग, डीजीएफटी (मुख्यालय) नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होगा।
- ख. पश्च-पोतलदान का विवरण विदेशी सहायक कम्पनी या विदेशी मूल कम्पनी/विदेशी मूल कम्पनी की अन्य सहायक कम्पनी से ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर परिशिष्ट 2ध (iv) में ईयूसी की प्रतिलिपि के साथ एएनएफ 2 ण(ग) प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा;
- ग. ऐसा करने में विफल होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और/अथवा जीएआईसीटी का निलंबन/निरस्तीकरण किया जा सकता है।

टिप्पणी: संशोधित एएनएफ (आयात निर्यात प्रपत्र)-एएनएफ 2ण (ख), एएनएफ 2ण (ग) और वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाणपत्र प्रपत्र परिशिष्ट 2ध (iv) इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न है।

घ. रिकॉर्ड कीपिंग

निर्यातक को डीजीएफटी द्वारा जीएआईसीटी जारी करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.73(ग) के अनुसार मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी निर्यात दस्तावेजों के रिकॉर्ड को रखने की आवश्यकता होगी।

ड. सामान्य शर्तें

- क. रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियारों अथवा जनविनाशकारी अस्त्रों को पहुंचाने वाली मिसाइलों और उनकी डिलीवरी प्रणाली के निर्माण, विकास, प्राप्ति, विनिर्माण, अधिकार, परिवहन, अंतरण और/या प्रयोग के लिए प्रयुक्त की जाने वाली साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों के मामले में जीएआईसीटी जारी नहीं किया जाएगा;
- ख. यूएनएससी व्यापार प्रतिषेध या प्रतिबंधित सूची के तहत शामिल देशों अथवा इकाइयों या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के विचार के आधार पर प्रसार चिंता के जोखिम के लिए मूल्यांकन किए गए देशों या इकाइयों हेतु जीएआईसीटी जारी नहीं किया जाएगा।

ग. मदों (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित) को शामिल करने या संशोधित करने या आपूर्ति श्रृंखला में नई कम्पनियों को शामिल करने या मौजूदा कम्पनियों में संशोधन के मामले में, आवेदक निर्यातक प्रासंगिक विवरण के साथ डीजीएफटी की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा:

घ. किसी भी कारण से जीएआईसीटी को जारी नहीं करने का अधिकार आईएमडब्ल्यूजी के पास सुरक्षित रहेगा और अपवाद मामलों में आवश्यक होने पर नीति के किसी भी प्रावधान में छूट भी प्रदान करेगा।

च. सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों (संसाधित या सम्मिलित) का पुनः निर्यात/पुनः-अंतरण

इसके अलावा, विदेशी सहायक कंपनी या विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी से अन्य देशों में अंतिम प्रयोक्ताओं को सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों (संसाधित या सम्मिलित) का पुनः निर्यात/पुनः अंतरण भारतीय कंपनी की विदेशी सहायक कंपनी या विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी के देश के निर्यात नियंत्रण विनियमों के अधीन होगा।

छ. वैधता

क) सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित स्कोमेट मदों के अंतः कम्पनी अंतरणों के लिए जारी जीएआईसीटी, जीएआईसीटी के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा;

ख) एफटीपी 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.80 के अनुसार जीएआईसीटी को पुनः मान्य नहीं किया जा सकता है।

ज. निलंबन/निरसन

जारी किए गए जीएआईसीटी संबंधित देश से या किसी घरेलू एजेंसी से किसी भी जांच के शुरु होने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर डीजीएफटी द्वारा निलंबित किए जाने हेतु पात्र होंगे। प्रसार संबंधी चिंता, या अनिवार्य रिपोर्टों/दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न करने या इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों का अनुपालन न होने के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी जीएआईसीटी को निरस्त कर दिया जाएगा।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित स्कोमेट मदों के अंतः कम्पनी अंतरण के लिए वैश्विक प्राधिकार पत्र (जीएआईसीटी) जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक में पैरा 2.79च पर मौजूदा प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया गया है। अब से, जीएआईसीटी नीति केवल स्कोमेट श्रेणी 8 (अनुलग्नक-I में सूचीबद्ध मदों को छोड़कर) के तहत सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों के निर्यात/पुनः निर्यात के लिए और केवल उपर तालिका 1 में सूचीबद्ध देशों के लिए लागू होगी। जीएआईसीटी के लिए आवेदन करने हेतु संशोधित एएनएफ (आयात निर्यात प्रपत्र)-एएनएफ 2ण(ख), एएनएफ 2ण(ग) और अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र प्रपत्र परिशिष्ट 2घ (iv) को भी अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

आयात निर्यात प्रपत्र 2ण (ख)

आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित स्कोमैट मदों (अंतर कंपनी हस्तांतरण हेतु वैश्विक प्राधिकार पत्र के तहत) के निर्यात हेतु आवेदन प्रपत्र

[कृपया आवेदन भरने से पूर्व डीजीएफटी की सार्वजनिक अधिसूचना सं. 14/2015 2020 दिनांक 13.06.2022 को देखें]

1. आवेदक का विवरण:													
i. आईईसी													
ii. नाम													
iii. पता	पलैट / प्लॉट / ब्लॉक नं.												
	गली / क्षेत्र / इलाका												
	नगर												
	राज्य												
iv. दूरभाष सं.	(1)	देश का कोड	क्षेत्र का कोड			दूरभाष नं.							
	(2)												
v. मोबाइल नं.		देश का कोड	क्षेत्र का कोड			फैक्स नं.							
vi. ई.मेल पता जहाँ सूचना और अधिसूचनाओं को भेजना है													
vii. कंपनी वेबसाइट													
ix. आवेदक फर्म के मुख्य व्यवसायिक कार्यकलाप													
x. क्या यह आवेदक मूल कंपनी है ?		जी हाँ <input type="checkbox"/>					जी नहीं <input type="checkbox"/>						

xi. यदि आवेदक सहायक कंपनी है तो निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराये।	नाम	पता	निर्यातक देश (सही पर नि"ान लगाएँ)
क. मूल कंपनी			
ख. अन्य सहायक कंपनियाँ (जिन्हें निर्यात किया जाना है)			
xii. दी गई लाइसेंस छूट (यदि लागू है तो)			
1. विदेश मूल कंपनी / सहायक कंपनी से			
2. देश का नाम			
xiii. विदेश का निर्यात लाइसेंस (यदि लागू है तो)			
1. विदेश के निर्यात लाइसेंस के प्रकार (उदा. के लिए थोक / सामान्य लाइसेंस / अस्थायी लाइसेंस / अन्य)			
2. ऐसा लाइसेंस देने वाला देश			

आवेदन शुल्क विवरण	
i. क्रम सं.	
ii. वेतन मोड	
iii. मांग पत्र / बैंक / बैंक रसीद / इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण	
iv. जारी करने की तारीख	
v. बैंक का नाम जहां आहरित किया गया है	
vi. बैंक शाखा का नाम जहाँ आहरित किया गया है	
vii. राशि (रुपये में)	

2क. निर्यात के लिए आवेदन किए गए आईटीसी (एच एस) निर्यात और आयात मदों के वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में स्कोमैट मदों का ब्यौरा: (यदि अपेक्षित हो, इसी प्रारूप में ए-4 साइज की अतिरिक्त शीट लगाएं)

क्रम सं०	स्कोमैट श्रेणी	स्कोमैट उप श्रेणी	तकनीकी विनिर्देशन सहित निर्यात मदों का ब्यौरा	उत्पाद मॉडल सं. भाग सं.	विदेशी निर्यात नियंत्रण सूची में ईसीसीएन/नं (यदि लागू है तो)	आईटीसी (एच एस) कोड नं. (यदि उपलब्ध है तो)	मात्रा	मात्रा की इकाई (ग्रा. कि. ग्रा. लीटर या मीटर)	कुलएफओबी मूल्य			अंतिम विवरण
									सम्बद्ध विदेशी मुद्रा में (यूएसडी के अलावा)	रुपयों में	अमरीकी डॉलर में	

2ख. लेन-देन का प्रकार

वास्तविक निर्यात

सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी का अमूर्त हस्तांतरण

खण्ड क. मूल उत्पाद सूचना

- निर्माता का नाम
- ब्रांड
- मॉडल नं./पार्ट नं. (यदि लागू है तो)

खण्ड खं. क्रिप्टोग्राफी नोट (यदि लागू नहीं है, तो छोड़ दे)

- निम्नलिखित किसी माध्यम से आम जनता के लिए बिना किसी प्रतिबंध के 'फुटकर विक्रय स्थल' पर क्या मद स्टॉक में उपलब्ध है और बेची गई है?

- (क) प्रति लेन-देन
- (ख) मेल आर्डर लेन-देन
- (ग) इलेक्ट्रानिक लेन-देन
- (घ) दूरभाष लेन-देन

यदि हां, तो विवरण उपलब्ध कराएं _____

- क्या उपोगकर्ता आसानी से मद की क्रिप्टोग्राफिक कार्यक्षमता को परिवर्तित कर सकता है जो निर्माता के विनिर्देश में विनिर्दिष्ट है ?

जी हाँ जी नहीं

- क्या आपूर्तिकर्ता के पर्याप्त सहयोग के बिना उपयोगकर्ता द्वारा संस्थापना के लिए मद डिजाइन की गई है।

2घ.. कंपनी की सूचना				
क्रम सं.	स्कोमेट मद	निर्यात/पुननिर्यात के उद्देश्य (उदा. के लिए डिजाइन/ एनक्रिप्शन/ अनुसंधान विकास/ वितरण वैधता /जांच/मरम्मत/डैमो /प्रदर्शन/ मापांकन/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	उस कंपनी का नाम जिसे निर्यात पुननिर्यात किया जाना है।	क्या यह विदेशी मूल कंपनी/ सहायक कंपनी है या भारतीय मूल कंपनी/सहायक कंपनी

3ड.. पोत लदान विवरण: (वास्तविक निर्यात के मामले में)	
i. लदान/पोत लदान का पत्तन	
ii. डिस्चार्ज का पत्तन	
iii. देश * जिसे मद का निर्यात किया जाना है	
1.	
2.	
iv. अंतिम गन्तव्य देश*	
1.	
2.	

*अधिक देशों की संख्या के लिए यदि आवश्यक है तो अतिरिक्त पंक्ति या शीट संलग्न करें

4. स्कोमेट मदों के निर्यात का ब्यौरा:						
किए गए अंतिम निर्यात का ब्यौरा, यदि पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में कोई निर्यात नहीं किया गया): (यदि आवश्यकता हो, तो इसी प्रपत्र में अतिरिक्त शीट (ए4 साइज) संलग्न करें)						
क्रम सं.	निर्यात लाइसेंस सं. और तारीख	निर्यातित मदों का विवरण		निर्यातित मात्रा	देश जहाँ निर्यात किया गया है	विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) की फाइल सं.
		श्रेणी	विवरण			

5. पोत लदान विवरण (प्रौद्योगिकी के अमूर्त हस्तांतरण (आईआईटी) के मामले में)					
i. निर्यात का तरीका (चर्चा की जानी है।)	प्रति लेन-देन <input type="checkbox"/>	मेल आर्डर लेन-देन <input type="checkbox"/>	इलेक्ट्रानिक लेन-देन <input type="checkbox"/>	दूरभाष लेने-देन <input type="checkbox"/>	अन्य _____
ii. देश जहां मद्र का निर्यात किया जाना है।					
iv. अंतिम गंतव्य देश					

6क. परेशितो का विवरण (यदि अंतिम उपयोकर्ता से अलग है)					
*किसी भी नई परेषिती के शामिल किए जाने की स्थिति में डीजीएफटी को अग्रिम सूचना दिए जाने की आवश्यकता है।					
i. नाम					
ii. पता	पलैट/प्लॉट/ब्लॉक नं.				
	गली/क्षेत्र/इलाका				
	नगर				
	देश		डाक कोड		
iii. टेलीफोन नं.	(1)	देश का कोड	क्षेत्र का कोड	टेली नं.	
	(2)				
iv. फ़ैक्स नं.	देश का कोड	क्षेत्र का कोड	फ़ैक्स नं.		
v. ई.मेल					

6ख. मध्यस्थ का विवरण (यदि अलग तीसरा पक्ष शामिल है) (लागू नहीं है तो छोड़े)

*किसी भी नई परेषिती के शामिल किए जाने स्थिति में डीजीएफटी को अग्रिम सूचना दिए जाने की आवश्यकता है।

i. नाम													
ii. पता	प्लैट / प्लॉट / ब्लॉक नं												
	गली / क्षेत्र / इलाका												
	नगर												
	देश		डाक कोड										
iii. टेलीफोन नं.	(1)	देश का कोड		क्षेत्र का कोड		टेली नं.							
	(2)												
iv. फ़ैक्स नं.		देश का कोड		क्षेत्र का कोड		फ़ैक्स नं.							
v. ई.मेल													

8. कृपया डीजीएफटी (मुख्यालय) को प्रस्तुत (ईमेल, फ़ैक्स या डाक के माध्यम से) सहायक दस्तावेजों के प्रकार का उल्लेख करें। कृपया सहायक दस्तावेजों के सभी पृष्ठों में पृष्ठ संख्या डालें और प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर दाहिने कोने में पृष्ठों की कुल संख्या दर्शाएँ। कृपया ध्यान दें कि आवश्यक दस्तावेजों का प्रस्तुत करने में विफल होने पर प्रक्रिया में विलंब होगा।

- तकनीकी आरेखन (उत्पादन/प्रौद्योगिकी पर सूचना), जहां लागू हो
 - उत्पादों के तकनीकी विनिर्देश/डेटा शीट/ब्रोशर, जहां लागू हो
 - दस्तावेजी प्रमाण जो अंतरा कम्पनियों अर्थात विदेशी मूल कम्पनी/मूल कम्पनी की सहायक कम्पनी/भारतीय मूल कम्पनी/भारतीय मूल कम्पनी की सहायक कम्पनियों के बीच संबंध स्थापित करता है।
 - दस्तावेजी प्रमाण जो विदेशी मूल कम्पनी/सहायक कम्पनी और/या भारतीय मूल कम्पनी/सहायक कम्पनी, आपूर्ति श्रृंखला में शामिल तीसरे पक्ष के साथ, जहां भी लागू है, के साथ करार समझौता स्थापित करता है!
 - संबंधित वचनबद्धता और घोषणा जहाँ लागू हो
 - खरीद आदेश/करार समझौते/मास्टर सेवा समझौते की प्रति/वारंटी नीतिगत शर्तें
 - डीजीएफटी से निर्यात/पुनर्निर्यात लाइसेंस, (जहाँ लागू हो)।
 - निर्यात अनुरोध पत्र, (जहाँ लागू हो)।
 - विदेशी मूल कम्पनी के निर्यात नियंत्रण लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई लाइसेंस छूट दस्तावेजी प्रमाण वैधता सहित, जहां भी लागू हो।
 - विदेशी कम्पनी के निर्यात लाइसेंस, जहां लागू हो।
 - भारतीय सहायक कम्पनी द्वारा अपनाई गई विदेशी मूल कम्पनियों के आईसीपी की एक स्व-प्रमाणित प्रति/भारतीय कम्पनियों के आईसीपी की स्व-प्रमाणित प्रति/एईओ स्कीम जैसे सरकार द्वारा प्रमाणित आईसीपी।
 - भारत में मरम्मत दायित्व का प्रमाण (जहां लागू हो)
 - प्रदर्शन उद्देश्य का प्रमाण (जहां लागू हो)
- अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें

केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय में उपयोग हेतु (आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए)

9 क. आवेदन सौंपने का विवरण (यदि इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किया गया है)

i. जीएआईसीटी संदर्भ संख्या	
ii. फाइल संख्या और जारी करने की तिथि	
iii. आवेदन शुल्क जमा करने का विवरण जैसे राशि रूपए में, डिमांड ड्राफ्ट सं./इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर सं. और तारीख, तथा बैंक का नाम और पता जहां आहरित है।	
9ख. क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी (जहां से कंपनी को आईसीपी जारी किया गया है या जिसकी शाखाएं हैं)	

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि

- (i) मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है।
- (ii) मैं/हम पूर्णतया समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम मुझे/हमें भुगतने पड़ सकते हैं।
- (iii) मैं/हम यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों तथा विदेश व्यापार नीति प्रक्रिया पुस्तक परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्रों और आईटीसी (एचएस) के अंतर्गत बने नियमों और आदेशों के पालन करने की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।
- (iv) मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि:
- क. फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन दण्डित नहीं किया गया है:
- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962
 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944; केन्द्रीय और राज्य जीएसटी अधिनियम, 2017
 - विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 यथासंशोधित और
 - विदेश विनियम प्रबन्धन अधिनियम, 1999
 - विदेश विनियम संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974
 - सामूहिक विनाश के अस्त्र तथा उनकी वितरण प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधि पर प्रतिबंध) अधिनियम 2005
- ख. कम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार /स्वामी/कर्ता/न्यासी/फर्म/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/ फर्म/संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र घोषित सूची (डीईएल) में है, का निदेशक/साझेदार/ स्वामी/ कर्ता/न्यासी नहीं हैं।
- ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय (यों) यूनिट (टों)/डिविजन (नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
- घ. हमने अपने पंजीकृत/मुख्यालय के लिए किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी से आयातक निर्यातक कोड संख्या प्राप्त नहीं की है और न ही आवेदन किया है।
- (v) मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने अपने पंजीकृत/मुख्य कार्यालय या अपनी किसी शाखा/यूनिट/डिविजन के नाम में ऐसे लाभ (आयातक निर्यातक कोड संख्या जारी करने सहित) किसी अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी से न तो प्राप्त किए हैं अथवा प्राप्ति हेतु आवेदन किया है।
- (vi) हमने स्कोमैट मदों के निर्यात के लिए हमें जारी सभी पिछले लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों की शर्तों का पालन किया है तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के भीतर अन्तिम प्रयोक्ता

द्वारा निर्यात की मदों की प्राप्ति के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली को विधिवत रूप से सूचित किया है।

- (vii) मैं/हम समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक और आईटीसी (एसएच) के प्रावधानों के पालन तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय (स्कोमेट अनुभाग) को सभी अपेक्षित दस्तावेज सौंपने की शपथ लेता हूँ/लेते हैं जिसके न करने पर मैं/हम यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 या उसके तहत बने नियमों और आदेशों तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होंगे।
- (viii) मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

आवदेक के हस्ताक्षर			
नाम			
पदनाम			
कार्यालय का पता			
टेलीफोन	देश का कोड	क्षेत्र का कोड	टेली नं.
स्थान:			
तारीख:			

आयात निर्यात प्रपत्र-2 ण (ग)

स्कोमैट मद/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के पुनः निर्यात के लिए पश्च रिपोर्टिंग के लिए
आवेदन प्रपत्र

(अंतरा कंपनी हस्तांतरण के लिए वैश्विक प्राधिकार पत्र के तहत)

आईटी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 हेतु परिशिष्ट-3 में सूचीबद्ध

1. सामान्य जानकारी

i. जीएआईसीटी प्राधिकार पत्र संख्या (13 अंक) और दिनांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ii. जोएआईसीटी प्राधिकार पत्र दिनांक (दिनांक/माह/तिथि)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

iii. आईईसी

--	--	--	--	--	--	--	--

iv. निर्यातक आवेदनकर्ता का नाम

v. पता

प्लैट/प्लॉट/ ब्लॉक नं.													
गली/क्षेत्र/इलाका													
शहर													
राज्य							पिन कोड						

vi. दूरभाष सं.

(1)	देश का कोड			क्षेत्र का कोड				दूरभाष सं.			
(2)											

vii. फ़ैक्स सं.

देश का कोड		क्षेत्र का कोड				फ़ैक्स सं.			

2. पोत लदान के विवरण के लिए (उपयुक्त को चिन्हित करें)

तिमाही	कृपया चयनित अवधि को चिन्हित करें	पश्च-पोत लदान के विवरण प्रस्तुत करने की तारीख (दिनांक / माह / तिथि)
जनवरी से मार्च		
अप्रैल से जून		
जुलाई से सितंबर		
अक्टूबर से दिसंबर		

3. मदों का विवरण

i. मदों का वास्तविक प्रवाह

क्र. सं.	स्कोमैट वर्गीकरण / उप-वर्गीकरण	ईसीसीएन / अथवा उस विदेशी राष्ट्र की नियंत्रण सूची संख्या जिसने भारत को लाइसेंस में छूट दी है। (यदि लागू है तो)	विदेश से प्राप्त निर्यात लाइसेंस का प्रकार (उदा. थोक, सामान्य, खुला आदि) (यदि लागू है तो) (जारी करने की तारीख के साथ)	निर्यात की वास्तविक तारीख	निर्यातक देश	कंपनी का नाम जिसे निर्यात किया जाना है।

ii. मदों का विवरण (वास्तविक निर्यात)

	मदो की क्र. सं.	(1)	(2)	(3)
1	स्कोमेट वर्गीकरण			
2	स्कोमेट उप-वर्गीकरण			
3	तकनीकी विशिष्टता सहित निर्यात मद/मदों का विवरण			
4	सीएस सं. (यदि रसायन हो तो)			
5	आईटीसी (एचएस) कोड सं. (यदि उपलब्ध है)			
6	उत्पाद का नाम			
7	मॉडल संख्या/पार्ट सं./क्र.सं.			
8	विनिर्माता			
9	मात्रा			
10	मात्रा की इकाई (ग्रा कि. ग्रा. अथवा मी. ट.)			
11	एफओबी रुपये में			
12	एफओबी अमेरिकी डॉलर में			
13	अन्य संबंधित जानकारी			
14	एसबी नं. (समुद्र से निर्यात)			
15	एसबी तारीख			
16	एडब्ल्यूबी नं.			
17	एडब्ल्यूबी तारीख			
	किए गए निर्यात का आधार एफओबी/सीआईएफ			
18	एफओबी मूल्य			
19	निर्यात का पत्तन			
20	निर्यात का देश			

iii. साफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के लिए (वास्तविक निर्यात) (यदि लागू न हो तो छोड़ दें)

क्र. सं.	उत्पाद की आधारभूत जानकारी	1	2	3
1	विनिर्मातक सेवा प्रदाता/सेवा प्रदाता (यदि लागू हो तो) का नाम			
2	आयातक का नाम			
3	निर्यातक का नाम			
4	ब्रांड			
5	मॉडल का नाम/प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर			
क)	मॉडल सं./पार्ट सं. (यदि लागू है तो)			
ख)	वर्ग (यदि लागू है तो)			
ग)	प्रकार (यदि लागू है तो)			
घ)	क्रम संख्या (यदि लागू है तो)			
ड.)	संस्करण (यदि लागू है तो)			
6	एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम (यदि लागू है तो)			
7	एन्क्रिप्शन कार्यक्षमता (यदि लागू है तो)			
8	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का मूल्य			
9	अतिरिक्त जानकारी (यदि कोई हो)			

4. नये मध्यस्थ/तृतीय पक्ष का विवरण (यदि लागू है तो)

नए मध्यस्थ *का नाम (यदि लागू है तो)	नए मध्यस्थ और तीसरे पक्ष का पूरा पता (पिन कोड और दूरभाष सं. सहित)	तीसरे पक्ष को निर्यात का उद्देश्य

* (यदि कोई नया मध्यस्थ/तीसरा पक्ष शामिल होता है तो डीजीएफटी को अग्रिम सूचना दिए जाने की आवश्यकता है।)

5. संलग्न दस्तावेज

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	संलग्न (हाँ/न)
1.	परिशिष्ट 2घ (i) में भारतीय मूल कम्पनी या विदेशी मूल कम्पनी की सहायक कम्पनियों/विदेशी मूल कम्पनी की अतिरिक्त सहायक कम्पनी से ईयूसी	
2.	खरीद आदेश/सेवा समझौता/मास्टर सेवा समझौता (एमएसए)/ करार (यदि संशोधित किया गया हो)	
5.	प्रविष्टि बिल	
6.	अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि कोई है तो) कृपया विनिर्दिष्ट करें।	

परिशिष्ट-2 घ (iv)

अंतरा कंपनी हस्तांतरण (जीएआईसीटी) के वैश्विक प्राधिकार पत्र के मामले में
वास्तविक उपयोग-सह-अंतिम उपयोग प्रयोक्ता प्रमाण पत्र

भाग 1: संबंधित पक्ष

(क) निर्यातक का नाम _____

(ख) मध्यस्थ का नाम (यदि कोई हो)

(ग) मध्यस्थ का पता (यदि कोई हो) _____

(घ) अंतिम उपयोगकर्ता का नाम _____

(ङ) अंतिम उपयोगकर्ता का पता _____

(च) जिप कोड _____ दूरभाष सं. _____ ईमेल _____ फ़ैक्स _____

(छ) विशिष्ट स्थान जहां मर्दों का प्रयोग किया जाना है (यदि (च) से भिन्न है तो) _____

(ज) अंतिम उपयोगकर्ता के सामान्य व्यापार की प्रकृति (उदाहरण विनिर्मातक अथवा शोध)

(झ) निर्यातक आवेदनकर्ता के साथ व्यापार संबंध (विदेशी सहायक कंपनी अथवा विदेशी मूल कंपनी/मूल कंपनी की अतिरिक्त सहायक कंपनी) _____

(ञ) आपका मौजूदा निर्यातक आवेदनकर्ता से कितने समय से व्यापारिक संबंध है?

भाग 2 : मदें (वस्तुएं, सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी)

क्र.स.	(क) मद/मदों का विवरण (उदाहरण के लिए विनिर्माता/मॉडल, सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी वर्ग, प्रारूप, क्रम संख्या)	(ख) मात्रा/भार/मूल्य ¹

(ग) मुख्य सेवा समझौता/करार समझौता संख्या और हस्ताक्षर की तारीख _____

भाग 3 : घोषणा

- (क) भाग 2 में सूचित मद/मदों का प्रयोग पूंजीगत उपकरण/संघटक/कच्चा माल/अन्य प्रयोग के तौर पर किया जाएगा (अंतिम प्रयोग से अभिप्रेरित)
- (ख) भाग 2 में सूचित मद (मदें) जो प्रक्रिया में हैं अथवा अन्य उत्पाद 2 में सम्मिलित हैं (जैसे कि ऊपर 3क में वर्णित है), अंतिम प्रयोक्ता को बिक्री के लिए _____ में स्थित है।
- (ग) अंतिम प्रयोक्ता द्वारा आयात का उद्देश्य (आरएंडडी/जांच/मापांकन/प्रदर्शन/डिजाइन/एन्क्रिप्शन/ वितरण/मान्यता/मरम्मत के बाद आयात/अन्य आदि)
- (घ) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त मदों (जैसा कि संदर्भित खरीद आदेश/मुख्य सेवा समझौता/अन्य करार समझौते में हैं) का उपयोग ऊपर बताए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- (ङ) विदेशी सहायक कंपनी अथवा विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी से अन्य देशों में अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों के अतिरिक्त पुन निर्यात/पुनः हस्तांतरण विदेशी सहायक कंपनी अथवा विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी अतिरिक्त सहायक कंपनी के अधीन होगी।
- (च) मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि भाग 2 में इंगित सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित वस्तुओं के भारत सरकार की अंतरा कंपनी हस्तांतरण (जीएफआईसीटी) हेतु वैश्विक प्राधिकार-पत्र के नियम और शर्तों के अनुसार निर्यात किया जाना है और केवल उन संस्थाओं को अनुमति दी जाएगी जो जीएफआईसीटी के लिए प्राधिकार-पत्र के तहत पात्र हैं।
- (छ) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम विदेश व्यापार महानिदेशालय भारत सरकार को उनके अनुरोध पर वितरण सत्यापन उपलब्ध कराऊंगा/करेंगे।
- (ज) भारत सरकार द्वारा यदि आवश्यक हो, वास्तविक प्रयोक्ता स्थलों पर मदों की पोतलदान पश्चात जांच, जैसा भी लागू हो, की अनुमति होगी। यदि उपर्युक्त मदों में प्रौद्योगिकी शामिल है, तो हम प्रमाणित करते हैं कि इसे पूरी तरह से गोपनीय माना जाएगा।
- (झ) भारत सरकार की पूर्व सहमति के बिना वस्तुओं का अंतिम उपयोग नहीं बदला जाएगा और न ही संशोधित या दोहराया जाएगा। (विदेशी मूल/कंपनी के पास वस्तुओं के स्वामित्व/पेटेंट के मामले में यह वैकल्पिक होगा।)
- (ञ) मैं/हम स्वयं अथवा किसी अन्य के द्वारा मदों या नकल अथवा व्युत्पन्न के बाद पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण/बिक्री, अंतिम प्रयोक्ता के देश की लाइसेंसिंग प्राधिकारी की सहमति के बिना अंतिम गंतव्य देश के भीतर और बाहर नहीं करूंगा/करेंगे जब तक कि निर्यात प्राधिकार पत्र से विशिष्ट छूट प्राप्त न हो।

- (त) मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर वर्णित मदों और/अथवा नकल का प्रयोग बाद में रासायनिक, जैविक, नाभिकीय हथियार अथवा सामूहिक विनाश के हथियार चलाने की क्षमता वाली मिसाइलों के डिजाइन विकास, अधिग्रहण, विनिर्माण, प्रक्रिया, परिवहन, हस्तांतरण उनके वितरण प्रणाली के लिए नहीं करूँगा/करेंगे। मदों का प्रयोग केवल नागरिक उपयोग के लिए होगा।
- (थ) मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम यूएनएससी अधिकृत व्यक्ति/कंपनी/समूह के अधीन नामित पक्ष नहीं हैं और मैं/हम यूएनएससी व्यक्ति/कंपनी/समूह के अधीन नामित पक्ष द्वारा न तो स्वामित्व और न ही नियंत्रित हूँ/हैं।
- (द) मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस प्रमाण-पत्र में निहित सभी तथ्य मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं/हम किन्हीं अन्य अतिरिक्त तथ्यों को नहीं जानता हूँ/जानते हैं जोकि इस प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाते।

हस्ताक्षर: _____ दिनांक _____
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

(कंपनी की मुहर/आधिकारिक मुहर) _____

नाम: _____

पद: _____

दिनांक: _____

पता: _____

ईमेल: _____

वैकल्पिक ईमेल: _____

दूरभाष: _____

[विदेशी सहायक कंपनी या विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी द्वारा अपने पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें अन्य सहायक कंपनियों के शामिल होने की स्थिति में आपूर्ति की पूरी श्रृंखला का संकेत दिया गया है। किसी भी अतिरिक्त पृष्ठ (पृष्ठों) को उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करता है।

1. प्रौद्योगिकी निर्यात के लिए मूल्य भाग 2 (ख) में उल्लेख किया जाना चाहिए:

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 13th June, 2022

No. 14 /2015-20

Subject : Amendment in Paragraph 2.79F in the Handbook of Procedures of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 to lay down the procedure for Global Authorization for Intra-Company Transfer (GAICT) of SCOMET items/software/technology

F.No. 01/91/180/18/AM17/EC(S) (Computer No. 2862).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes amendments in Paragraph 2.79 F to Handbook of Procedures (HBP) of FTP 2015-20 with immediate effect.

2. Existing entry at sub-Para 2.79F of the HBP of FTP 2015-20 shall be substituted as under:

"Para 2.79F - Global Authorisation for Intra-Company Transfers (GAICT) of SCOMET Items/Software/Technology

A. **Scope and Eligibility:** Pre-export authorization will not be required, for export and/or re-export of SCOMET items including software and technology under SCOMET Category 8 (except items listed in Annexure-I), subject to the following conditions:

- i. where the export is an Intra-company transfer from the Indian parent company (applicant exporter) to its foreign subsidiary company or from the Indian subsidiary of foreign company (applicant exporter) to its foreign parent/another subsidiary of foreign parent company and;

Note: *In case of third party involvement in the supply chain, the end user has to be a foreign parent / another subsidiary of foreign parent company or a subsidiary company of Indian company.*

- ii. where the transfer fulfils the conditions mentioned at (a) to (f) below:

- a. The items/software/technology to be exported/re-exported is based on a Master Service Agreement / Contract between the Indian parent company/Indian subsidiary of foreign company and foreign subsidiary of Indian company/foreign parent company of Indian subsidiary for carrying out certain services but not limited to design, encryption, research, development, delivery, validation, calibration, testing, related services, etc.;

Note 1: As a result of the service carried out by the Indian exporter in case of re-export, the items/software/technology should not undergo change in classification.

Note 2: The list of services mentioned above is illustrative, not exhaustive. However, the final decision to approve a GAICT authorization lies with the relevant authority.

- b. These items including software and technology are to be exported/re-exported to the countries listed in Table 1 below (entire supply chain including any third party should be in the countries listed in Table 1 to this Public Notice);

Table 1

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States.

Note: However, IMWG on a case to case basis may allow countries other than those listed in Table 1 considering description/end use/end user of the item.

- c. The applicant exporter declares that the exported items would be used for the purposes for which it is intended by the foreign subsidiary of Indian company / foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company, as the case may be;
- d. The applicant exporter furnishes either a certified/approved Internal Compliance Programme (ICP) or demonstrates compliance to the ICP of the foreign parent company or ICP certified by the Compliance Manager of the company or certified by any Government agency such as Authorized Economic Operator (AEO) scheme etc.
- e. The exporter agrees to allow on-site inspection, if required by the DGFT or authorized representatives of Government of India;
- f. No export authorization would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries;
- g. No export authorization shall be granted to an exporter specified at (i) above if they have come to adverse notice previously;
- h. The exporter is granted a Global Authorisation for Intra-Company Transfers (GAICT) as per procedure mentioned in para 2.B below.

B. Procedure for grant of Global Authorization for Intra-Company Transfers (GAICT)

Filing and Assessment of Application

- a. In respect of export/re-export of SCOMET items including software and technology ,the applicant exporter shall submit an application for GAICT through online SCOMET portal and attach information in proforma - ANF 2O(b);
- b. The application would be assessed for the issue of GAICT by Inter-Ministerial Working Group (IMWG) based on the submission of the application and other supporting documents by the applicant exporter in the prescribed proforma;
 - i. Documentary proof of the corporate relationship between the Indian parent company (applicant exporter) and its foreign subsidiary company or between the Indian subsidiary of foreign company (applicant exporter) and its foreign parent / another subsidiary of foreign parent company ;
 - ii. Classification of item including software and technology in SCOMET (indicating SCOMET category and sub-category);
 - iii. Documentary proof of License Exception /Temporary license from the country of the parent company abroad or from subsidiaries of the parent company abroad, if available (optional)

- iv. Detailed description of the item intended to be exported with relevant technical details with specifications, such as model, part number, etc. and in case of software/technology, relevant details like encryption algorithm, key length, encryption functionality, eligibility under cryptography note etc. to be provided (if applicable);
- v. In case of third party involvement in the supply chain, a clear contract /service agreement/ Purchase order has to be furnished specifying SCOMET item description.
- vi. Certified/approved ICP of the Indian parent company or self-certified copy of the ICP of the foreign parent company being adopted by Indian subsidiary of foreign company along with an undertaking thereon;
- vii. Undertaking on the letterhead of the firm duly signed and stamped by the authorised signatory:
 - a. To allow on-site inspection, if required by the DGFT or authorized representatives of Government of India;
 - b. The applicant exporter declares that the exported items would be used for the purposes for which it is intended by the foreign subsidiary of Indian company / foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company, as the case may be;
 - c. The applicant exporter declares that subsequent to issue of export authorisation, if the licensee has been notified in writing by DGFT or if they know or has reason to believe that an item may be intended for military end use, the exporter would not be eligible for GAICT for export of that/those item(s) and would apply separately to DGFT for a fresh authorisation in terms of regular policy. [DGFT's PN No. 27 dated 21.09.2017 for catch-all policy may also be referred].
- viii. The Company must ensure that:
 - a. They shall submit original End User Certificate in the prescribed format within 30 days of filing application and in case of subsequent exports, within 30 days of delivery at destination point, after issue of export authorisation;
 - b. They have Agreement/purchase order, excerpt of contract from entity (consignee) receiving the items which states the export is for a permitted use ;
 - c. The documents include the name & contact number and email id of the authority signing the EUC.
- ix. A precise and clear contract /service agreement/ Purchase order has to be furnished indicating item description in case of third party involvement in the supply chain (if applicable)
- x. Additional details, if any, sought by DGFT

C. Post reporting for re-export of items/software/technology under GAICT

- a. The Indian exporter shall submit post-shipment details of each transfer/consignment of exports of SCOMET items/software/technology under GAICT to the SCOMET Division of DGFT (Hqrs), New Delhi, via E-mail (scomet-dgft-pr@nic.in) or a procedure as prescribed by DGFT, on quarterly basis (March / June / September / December), by the end of subsequent month of each quarter, in respect of the exports made in the previous quarter;
- b. The post-shipment details shall be submitted in proforma ANF 2 O (c) along with a copy of EUC in Appendix 2S (iv) within the timelines mentioned above, from the foreign subsidiary company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company;
- c. Failure to do so may entail imposition of penalty and / or suspension/revocation of GAICT.

Note: Revised ANF (Aryat Niryat Form) - ANF 20(b), ANF 20(c) and End Use Certificate proforma Appendix 2S (iv) enclosed with this Public Notice.

D. Record Keeping

The exporter will be required to keep records of all the export documents, in manual or electronic form, in terms of Para 2.73 (c) of HBP, for a period of 5 years from the date of GAICT issued by DGFT.

E. General conditions

- a. GAICT would not be issued in case of items including software and technology to be used to design, develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer and / or used for chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering weapons of mass destruction and their delivery system;
- b. GAICT would not be issued for countries or entities covered under UNSC embargo or sanctions list or to the countries or entities assessed for risk of proliferation concern, based on national security and foreign policy considerations;
- c. In case of inclusion or amendment of items (including software and technology) or inclusion of new companies or amendment in existing companies in the supply chain, the applicant exporter will obtain prior permission of DGFT with relevant details;
- d. IMWG shall reserve the right to deny issuance of authorization GAICT for any reason and also relax any provision of the policy, if so required in exceptional cases.

F. Re-exports / re-transfer of the items including software and technology (processed or incorporated)

Further re-exports / re-transfers of the items including software and technology (processed or incorporated) from the foreign subsidiary company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company to end users in other countries would be subject to the export control regulations of the country of the foreign subsidiary of Indian company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company.

G. Validity

- a) GAICT issued for intra-company transfers of SCOMET items including software and technology shall be valid for a period of three years from the date of issue of GAICT;
- b) GAICT cannot be revalidated in terms of Paragraph 2.80 of HBP of FTP 2015-20.

H. Suspension / Revocation

GAICT issued shall be liable to be suspended by the DGFT on receipt of intimation about initiation of any inquiry from the country concerned or from any domestic agency. GAICT shall be revoked on receipt of an adverse report on proliferation concern or for non-submission of mandatory reports/documents within the prescribed timelines or for non-compliance of any of the condition of this Public Notice.

3. Effect of this Public Notice:

Existing entry at Paragraph 2.79F has been substituted in the Handbook of Procedures (HBP) of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 to amend the procedure for issue of Global Authorisation for Intra-Company Transfer (GAICT) of SCOMET items including software and technology. Henceforth, GAICT policy would be applicable only for export / re-export of items, including software and technology under SCOMET Category 8 (except items listed in Annexure-I), and to only the countries listed in Table 1 above. Revised ANF (Aayat Niryat Form) - ANF 20(b), ANF 20(c) and End Use Certificate proforma Appendix 2S (iv) for applying for GAICT also notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

ANF- 2 O(b)**APPLICATION FORM FOR EXPORT OF SCOMET ITEMS INCLUDING SOFTWARE AND TECHNOLOGY
(UNDER GLOBAL AUTHORISATION FOR INTRA COMPANY TRANSFER) LISTED IN APPENDIX 3 TO
SCHEDULE 2 OF ITC (HS) CLASSIFICATION**

[Please see DGFT's Public Notice No. 14 /2015-20 dated 13.06.2022 before filling the application]

1. Applicant Details:													
i. IEC													
ii. Name													
iii. Address	Flat/Plot/Block No.												
	Street/Area/ Locality												
	City												
	State												
iv. TeleNo.	(1)	Country Code	Area Code				Tel.No.						
	(2)												
v. Mobile No.		Country Code	Area Code				Fax No.						
vi. E-mail address where alerts and notifications to be sent													
vii. Company Website													
ix. Principal Business Activities of the applicant firm:													
x. Is this applicant a parent company?		Yes	<input type="checkbox"/>	No							<input type="checkbox"/>		
xi. If applicant is a subsidiary, then provide following details:		Name			Address				Country of Export (tick the appropriate)				
a. Parent Company													
b. Other Subsidiaries (to which exports to be made)													
xii. License exception given by (if applicable)													
1. From Foreign parent/subsidiary													

2. Name of the country			
Xiii Export license of foreign country (if applicable)			
1. Type of Export license of foreign country (for e.g. bulk/general/ temporary license/ others)			
2. Country of granting such license			

Application Fee Details	
i. Sr. No.	
ii. Pay Mode	
iii. Demand Draft/Bank/Bank Receipt/Electronic Fund Transfer	
iv. Date of Issue	
v. Name of the Bank on which drawn	
vi. Bank Branch on which drawn	
vii. Amount (Rs)	

2A. Details of SCOMET items in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export & Import Items applied for export: (If required, attach extra sheet (A4 size) in the same format)

Sl. No.	SCOMET Category	SCOMET Sub-category	Generics Description of export item/s including technical details	Product Model No. / part No.	ECCN/ number on the foreign export control list (If applicable)	ITC (HS) Code No. (if available)	Quantity	Unit of Quantity (G, KG,no., Ltr or MT)	Total FOB Value			End Use Description
									In relevant Foreign Currency(other than USD)	In Rupees	In US\$	

2B. Type of Transaction

Physical Export

Intangible Transfer of Software/Technology

Section A: Basic Product Information

- i. Name of the manufacturer
- ii. Brand
- iii. Model no./ Part No (if applicable).

SECTION B: CRYPTOGRAPHY NOTE (leave, if not applicable)

i. Is the item available and sold from stock at 'retail selling points' without restrictions', to the general public' through any of the following means?

- (a) Over-the-counter transactions
- (b) Mail order transactions
- (c) Electronic transactions
- (d) Telephone call transactions

If yes, then provide details _____

ii. Can the user easily change the cryptographic functionality of the item what is specified in the manufacture's specification? Yes No

iii. Is the item designed for installation by the user without further substantial support by the supplier? Yes No

SECTION C: TECHNICAL QUESTION (leave, if not applicable)

Does the item contain the following cryptographic functions?

1. A "symmetric algorithm" employing a key length in excess of 56 bits, not including parity bits?

Yes No

If 'Yes' please state the following

a) Full name:

b) Key Length / bits:

c) Is it used for any of the following?

- i. "Authentication"
- ii. Digital Signature
- iii. Data integrity
- iv. Non-repudiation
- v. Digital rights management, including the execution of copy protected software
- vi. Encryption or decryption support of entertainment, mass commercial broadcasts or medical records management
- vii. Key management in support of any of the cryptographic functions in above 1. (i) to (vi)

d) Encryption algorithm

e) Encryption Functionality

Additional Information (if any)

2C. In case of Technology and Software (If applicable) (If required, attach extra sheet (A4 size) in the same format)

						Additional Information (If applicable)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sl. No.	SCOMET category	Name of the manufacturer/ Producer/ Service Provider	Brand (If applicable)	Name of Model or Name of Software/Technology	Model no./ Part No. (If applicable)	Class (If applicable)	Type (If applicable)	Serial No. (If applicable)	Version No. (If applicable)	Encryption algorithm (If applicable)	Encryption Functionality (If applicable)	Value of technology	Additional Information (if any)

2D. Company's Information

S. No.	SCOMET category	Purpose of export/re-export (e.g Design/encryption /research/ development/delivery/validation/testing/repair /demo/display/calibration/ others (Please specify)	Name of the company to which export/re-export to be made	Is it foreign parent company/subsidiary Or Indian Parent/Subsidiary

3. Shipment Details (in case of physical export)

i. Port of Loading/Shipment	
ii. Port of Discharge	
iii. Countries* to which item to be exported	
1.	
2.	
iv. Ultimate Destination Country*	
1.	
2.	

*Insert additional row or sheet, if required for more number of countries

4. Details of exports of SCOMET items Details of the export last made , if no export was made during the preceding licensing year):(If required, attach extra sheet(A4size)in the same format)

Sl. No.	Export License No. & Date	Details of items exported		Quantity exported	Country to which exported	DGFT's (HQ's) File Number
		Category	Description			

5. Shipment Details (In case of Intangible Transfer of Technology (ITT))

i. Mode of Export	Over the counter transactions <input type="checkbox"/>	Mail Order Transactions <input type="checkbox"/>	Electronic transactions <input type="checkbox"/>	Telephone call transactions <input type="checkbox"/>	Others _____
ii. Countries to which item to be exported					
iv. Ultimate Destination Country					

6A. Consignee* Details (If different from ultimate end user)

* The DGFT need to be informed in advance in case of any new consignee is involved.

i. Name												
ii. Address		Flat/Plot/Block No.										
		Street/Area/Locality										
		City										
		Country				Postal Code						
iii. Tele phone No.		Country Code			Area Code			Tel.No.				
		(1)										
		(2)										
iv. Fax No.		Country Code			Area Code			Fax No.				
v. E-mail												

6B. Intermediary* Details (If third party involved) (leave if not applicable)				
* The DGFT need to be informed in advance in case of any new intermediary is involved.				
i. Name				
ii. Address	Flat/Plot/Block No.			
	Street/Area/Locality			
	City			
	Country		Postal Code	
iii. Telephone No.	(1)	Country Code	Area Code	Tel.No.
	(2)			
iv. Fax No.		Country Code	Area Code	Fax No.
v. E-mail				

8. Please indicate the type of supporting documents submitted (via email, fax or post) to DGFT (hqs). Please number all pages of the supporting documents and indicate the total number of pages at the top right corner of every page. Please note that failing to submit the necessary documents will delay the processing.

- Technical drawings (Information on Product/Technology) , wherever applicable
- Technical Specifications/Data Sheets/Brochures of the product(s) , wherever applicable
- Documentary Proof that establishes corporate relationship between Intra companies i.e. between foreign parent company/subsidiary of parent company/Indian parent company/ Subsidiary of Indian parent company
- Documentary Proof that establishes contractual agreement between foreign parent/subsidiary and/ or Indian parent/subsidiary with the third party involved in the supply chain, wherever applicable.
- Relevant Undertakings and Declaration, where applicable
- Purchase Order(s)/Contract Agreement(S)/ Copy of Master Service Agreement(MSA)/Warranty Policy Conditions
- Export Licence(s) from DGFT, wherever applicable.
- Export request Letter, where applicable
- Documentary Proof of License Exception granted by the export control licensing authority of country of the foreign parent company with validity (wherever applicable)

<input type="checkbox"/> Export license of foreign country (wherever applicable) <input type="checkbox"/> A self-certified copy of the ICP of the foreign parent company being adopted by Indian subsidiary/ <u>self-certified copy of ICP of Indian parent company/ ICP certified by Government like AEO Scheme</u> <input type="checkbox"/> Proof of repair obligation in India (Wherever applicable) <input type="checkbox"/> Proof of demonstration purpose (wherever applicable) <input type="checkbox"/> Other, Please specify.....

For Use in DGFT office only (To be filled by the applicant).	
9A. Application Submission Details (if submitted electronically):	
i. GAICT Registration no.	
ii. File Number & Date of Issue	
iii. Application submission details viz. Amount in Rupees, Demand Draft No./Electronic Fund Transfer No. and Date and the name & branch of the bank on which drawn	
9B. Jurisdictional Authority (from where the company has been issued IEC or having branch office):	

DECLARATION/UNDERTAKING

I / We hereby certify that:

- (i) I/We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my/ our knowledge and belief and nothing has been concealed or held the reform.
- (ii) I/We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me / us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
- (iii) I/We undertake to abide by the provisions of the FT (D & R) Act, 1992, as amended, the Rules and Orders framed thereunder, FTP, HBP, Appendices and Aayat Niryat Forms and ITC(HS).
- (iv) I/We hereby certif. that:
 - A. The entity for whom the application has been made have not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time):
 - (i) The Customs Act, 1962,
 - (ii) The Central Excise Act1944, Central & State GST Act, 2017
 - (iii) Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, as amended, and
 - (iv) The Foreign Exchange Management Act ,1999;
 - (v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974
 - (vi) Weapons of Mass Destruction & their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005

- B. None of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s) / Partner(s) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT or is in the caution list of RBI;
- C. Neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office(s)/ Unit(s)/ Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy;
- D. We have neither obtained nor applied for issuance of an Importer Exporter Code Number in the name of our Registered / Head Office to any other Licensing Authority.
- (v) I / We hereby declare that I / We have neither obtained nor applied for such benefits (including issuance of an Importer Exporter Code Number) in the name of our Registered / Head Office or any of our Branch(s) / Unit(s) / Division(s) to any other Regional Authority.
- (vi) We have complied with the conditions of all previous licences / authorisations issued to us for export of SCOMET items and wherever required have duly intimated the o/o DGFT, New Delhi along with documentary evidence regarding receipt of the items of export by the end -user within the stipulated time.
- (vii) I / We undertake to abide by the provisions of the FT (D & R) Act, 1992, as amended, the Rules and Orders framed there under, FTP, HBP and ITC (HS) and submit all requisite documents to the o/o DGFT (SCOMET Section), failing which I/We shall be liable to action under FT (D & R) Act, 1992 as amended or rules and orders made there under, and the Customs Act,1962.
- (viii) I hereby certify that I am authorised to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.6 of the Policy.

Signature of the Applicant												
Name												
Designation												
Official Address												
Telephone	Country Code	Area Code				Tel.No.						
Place:												
Date:												

.....

vii. Fax No.

Country Code		Area Code					Fax No.									

2. Details of the shipment for (Tick the appropriate)

Quarter	Please tick the period opted	Date of Submission of post shipment details (dd/mm/yy)
Jan to March		
April to June		
July to September		
October to December		

3. Items Details**i. Actual flow of items**

S. No.	SCOMET category/sub category	ECCN/ or control list no. of foreign country by which license exception has been given to India (if applicable)	Type of export license obtained from foreign country(e.g. bulk, general, open etc.) if applicable) (with date of issue)	Actual Date of export	Country of export	Name of the company(ies) to which exports to be made

ii. Details of the items (Actual export)

	Sl. no. of Items	(1)	(2)	(3)
1	SCOMET Category			
2	SCOMET Sub-category			
3	Description of export item/s including technical specification			
4	CAS no. (in case of chemicals)			
5	ITC (HS) Code No. (if available)			
6	Product Name			
7	Model Number/Partnumber./serial no. (If applicable)			

8	Manufacturer			
9	Quantity			
10	Unit of Quantity (G,KG, or MT)			
11	FOB in rupees			
12	FOB in USD			
13	Other relevant information			
14	SB number (export by sea)			
15	SB Date			
16	AWB number			
17	AWB Date			
	Basis of Export made FOB/CIF			
18	FOB Value			
19	Port of Export			
20	Country of export			

iii. For Software/Technology (Actual exports) (Skip if not applicable)

S. No.	Basic Product Information	1	2	3
1	Name of the manufacturer//service provider (if applicable)			
2	Name of the Importer			
3	Name of the Exporter			
4	Brand			
5	Name of Model/Software/Technology			
a)	Model no./ Part No. (if applicable)			
b)	Class (if applicable)			
c)	Type (if applicable)			
d)	Serial No. (if applicable)			
e)	Version No. (if applicable)			
6	Encryption algorithm. (if applicable)			
7	Encryption Functionality (if applicable)			
8	Value of software/technology			
9	Additional Information (if any)			

4. Details of New Intermediary/third party involved (if applicable)

Name of New Intermediary/third party (if applicable)	Complete Address of New Intermediary/third party (Including Pin code and Telephone no.)	Purpose of export to Third party

* The DGFT need to be informed in advance in case of any new Intermediary/third party is involved.

5. Documents Attached:

Sl. No.	Name of the document	Attached (Yes/No)
1.	EUC from foreign subsidiary(ies) of Indian Parent company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company in appendix 2S(iv)	
2.	Purchase Order /Service agreement/ Master Service agreement (MSA)/Contract (if amended)	
5.	Bill of Entry	
6.	Other relevant documents (If any) Please specify	

.....

APPENDIX- 2 S (iv)**END USE CUM END USER CERTIFICATE IN CASE OF GLOBAL AUTHORIZATION FOR INTRA****COMPANY TRANSFER (GAICT)****PART 1: PARTIES CONCERNED**

- a) Name of Exporter _____
- b) Intermediary Name (if any) _____
- c) Intermediary Address (if any) _____
- d) Name of End User _____
- e) End-User's Address _____
- f) Zip code _____ TeleNo. _____ Email _____ Fax _____
- g) Specific Location where the items will be used (if different from(e))

- h) Nature of usual business of the End-User (e.g. manufacturer or research)

- i) Business relationship with the applicant exporter (foreign subsidiary company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company)

- j) How long has your business relationship with the applicant exporter existed?

PART 2: ITEMS (goods, software, technology)

S. No.	(a) Description of the item(s) (e.g. Name of Manufacturer/Model/Software/Technology, Class, Type, Serial Number)	(b) Quantity/Weight /Value ¹

(c) Master Service Agreement / Contract Agreement Number & Date of signature _____

PART 3: DECLARATION

- a) The item(s) indicated in PART2 will be used as capital equipment/component/raw material /other use for (Intended End use)
-
- b) The item(s) indicated in PART2 are being processed or incorporated in to another product (as detailed in 3a above), for sale to ultimate end users located in _____
- c) Purpose of import by End User (R&D/testing/Calibration/demo/design/encryption/delivery/validation/import after repair/others, etc).

- d) I/we certify that the above-mentioned items (as detailed in the referenced purchase order/ master service agreement/other contract agreement) shall not be used for any purpose other than the purpose(s) stated above.
- e) Further re-export /re-transfer of the item including software and technology from the foreign subsidiary company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company to end users in other countries would be subject to the export control regulations of the country of the foreign subsidiary company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company.
- f) I/we certify that the items including software and technology indicated in part 2 is/are to be exported as per the terms and condition of Global Authorization for Intra Company Transfer (GAICT) policy of the Government of India and shall be allowed only to the entities eligible under authorization for GAICT.
- g) I/we certify that I/we will provide DGFT, Government of India with delivery verification certificate upon its request.
- h) Post shipment verification of the items at the end users' site shall be allowed, if required by the Government of India, as may be applicable. In case the above mentioned item(s) include(s) technology, we certify that it will be treated as strictly confidential.
- i) End Use of the items shall not be changed nor the items modified or replicated without the prior consent of the Government of India (This will be optional in case the ownership/patent of the items is with the foreign parent company).
- j) I/we shall not myself/our self, or through another, cause the items, or replicas, or derivatives thereof to be re-exported/re-transferred/sold without the consent of the licensing authority of the country of the end user, to any party within country of final destination or outside it, unless specifically exempted in the export authorization.
- k) I/We also certify that the above items and/or replicas thereof will not be used to design, develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer and/or used for chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering weapons of mass destruction and their delivery system. The items will be used for civil purposes only.

- l) I/We also certify that I/we are not a party designated under UNSC sanctioned individual/entities/groups and I/we are neither owned nor controlled by a designated party under UNSC individual/entities/groups.
- m) I/we also certify that all the facts contained in this certificate are true and correct to the best of my knowledge and belief and that I/we do not know of any additional facts that are inconsistent with this certificate.

Signature: _____
(Signature of authorized signatory)

Company stamp/Official seal _____

Name: _____
Designation _____
Date: _____

Address: _____
Email: _____
Alternate Email: _____

Tele No.: _____

[To be submitted by foreign subsidiary company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company on its letterhead indicating full chain of supply in case other subsidiaries are also involved. Any additional page(s) must be signed by the same person who signs this form.]

1: For Technology exports, value should be mentioned in Part 2(b)